संख्या–10मु0मंत्री / 60–3–11–13(9)11

प्रेषक,

नीता चौधरी,
समाज कल्याण आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश,
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनांक 28 जून,,2011

विषयः– तहसील / थाना दिवस पर महिलाओं की समस्या / शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है। अधिसूचना संख्या–4066 / 60–3–06–613 / 01, दिनांक 15दिसम्बर,2006 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश महिला नीति 2006 के अन्तर्गत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उनके कल्याणार्थ एवं सशक्तीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयास / व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यवाही के बिन्दु रेखांकित किये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि महिलाओं की शिकायतों तथा विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर जिले स्तर पर समुचित ढंग से कार्यवाही नहीं की जा रही है। महिलाओं की शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति में भिन्नता को देखते हुए यह अनुभव किया जा रहा है कि इनकी जो शिकायतें तथा प्रार्थना पत्र स्थानीय स्तर पर प्राप्त हों, उनके सम्बन्ध में प्राथमिकता पर कार्यवाही कर समयबद्व रुप से समस्या का निराकरण किया जाये। इस संबंध में प्रत्येक माह की प्रथम तथा तीसरे मंगलवार को आयोजित होने वाले तहसील दिवस एवं माह के प्रथम व तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले थाना दिवस में महिलाओं की शिकायतों तथा अन्य प्रार्थना पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई किये जाने एवं उनकी शिकायतों आदि का पृथक से रजिस्टर तैयार कर रख–रखाव किये जाने की आवश्यकता है।

2– शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि तहसील दिवसों तथा थाना दिवसों में महिलाओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों / शिकायतों के सम्बन्ध में प्राथमिकता पर कार्यवाही करते हुए उन पर समयबद्व रुप से सुनवाई सुनिश्चित की जाये एवं उनके शिकायती पत्रों आदि का पृथक से रख–रखाव किया जाये।

3– अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए त्रैमासिक आख्या शासन को नियमित रुप से भेजने का कष्ट करें।

भवदीया,

(नीता चौधरी) 27.6.11
समाज कल्याण आयुक्त।

संख्या—10मु0मंत्री (1)/60—3—11,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निदेशक,महिला कल्याण,उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण में समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

2— सदस्य सचिव,उ0प्र0 राज्य महिला आयोग,लखनऊ।

3— राजस्व अनुभाग—4/गृह (पुलिस)अनुभाग—3/गृह(पुलिस) अनुभाग—15

4— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भवनाथ)

विशेष सचिव।